संख्या:-72/2021/1132 / छप्पन-2021-58/2011

प्रेषक,

विशाख जी0,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन, उ0प्र0,
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 29 जुलाई, 2021

विषय: नागरिक उड्डयन निदेशालय की अनुरक्षण सुरक्षा एवं सामान्य प्रशासन इकाई के उप निदेशक एवं उप निदेशक (प्रशासन) के पदों का उच्चीकरण कर अपर निदेशक, (तकनीकी) तथा अपर निदेशक (प्रशासन) का पद एवं मुख्य सुरक्षाधिकारी के पद को निम्नीकृत कर सुरक्षाधिकारी के पद को सृजित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 1069/छप्पन-2008-180/2000 टी0सी0 दिनांक 19 अगस्त, 2008 एवं शासनादेश संख्या: 484/छप्पन-10-59/95 दिनांक 02 अगस्त, 2010 तथा शासनादेश संख्या: 1633/छप्पन-2001-188/2001 दिनांक 06 नवम्बर, 2001 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिनके द्वारा क्रमश: उप निदेशक का 01 पद, मुख्य सुरक्षा अधिकारी के 02 पद, एवं उप निदेशक (प्रशासन) के 01 पद सृजित किए गए हैं।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त पदों को उच्चीकृत / निम्नीकृत किए जाने के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल निम्नवत् पदों को सृजित / पुनर्गठन किए जाने हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उप निदेशक के 01 पद को उच्चीकृत करते हुए उसके स्थान पर अपर निदेशक (तकनीकी) का 01 संविदा का पद मासिक पारिश्रमिक रेन्ज रू0 2.50 लाख से 3.50 लाख में सृजित किया जाता है।

(2) उप निदेशक (प्रशासन) के 01 पद को उच्चीकृत करते हुए उसके स्थान पर अपर निदेशक (प्रशासन) का 01 पद वेतन बैण्ड रू0 15,600-39,100/- एवं ग्रेड वेतन रू0 7600/- (लेवल-12) में सृजित किया जाता है।

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(3) मुख्य सुरक्षा अधिकारी के 02 पदों को निम्नीकृत करते हुए उनके स्थान पर सुरक्षा अधिकारी के 02 पद वेतन बैण्ड रू0 15,600-39,100/-एवं ग्रेड वेतन रू0 5400/- (लेवल-10) में सृजित किया जाता है।

3- उपर्युक्त सृजित होने वाले पदों पर होने वाला व्यय विभागीय लेखा शीर्षक ''2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-114-वाहन का क्रय तथा रख रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय'' के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाई के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-7-678/दस-2021 दिनांक 17 जून, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
विशाख जी0
विशेष सचिव।

संख्या-72/2021/1132(1)/छप्पन-2021-58/2011, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. महालेखाकार-प्रथम (आडिट/लेखा), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।